न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /15/2024

पुष्पेन्द्र पुत्र श्री सुबरन जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र पूरन सिंह
2. बबली पुत्री पूरन सिंह
3. रनवीरी पुत्री पूरन सिंह
4. रम्पो पत्नी पूरन सिंह

जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1069 दिनांक 28.02.2024 स्वीकार दिनांक 11.03.2024 द्वारा तहसीलदार नदबई

उपस्थितः—

1—श्री गोविन्द सिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

निर्णय **दिनांक 24.04.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नामान्तकरण 1069 दिनांक 11.03.2024 तहसीलदार नदबई के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2024 को पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पो. के हक में दिनांक 28.02.2024 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.03.2024 को स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली नामान्तकरण तलब किया गया। तहसीलदार नदबई के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1977 दिनांक 28.05.2024 से नामान्तकरण संख्या 1069 दिनांक 11.03.2024 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पो. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस इकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आराजी खसरा नं. 523/0.47, 747/0.20, 828/0.33 किता 3 रकवा 1.00 है. एवं आराजी खसरा नं. 1317, 1414, 1416, 603, 640 किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है जिसके निस्फ हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार पूरनसिंह पुत्र यादराम जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर था। जो उसकी पैत्रिक आराजी

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

ना होकर स्वअर्जित आराजी थी। अपीलान्ट पूरनसिंह का भतीजा है। खसरा नं. 523, 747, 828 की वसीयत पूरनसिंह के द्वारा अपीलान्ट के हक में दिनांक 22.06.2023 को उपपंजीयक नदबई के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्ध कराई गई थी एवं आराजी खसरा नं. 1317, 1414, 1416, 603, 640 का विक्रय पत्र पूरनसिंह के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 22.01.2010 को पंजीकृत कराया गया था। अब पूरनसिंह पुत्र यादराम का दिनांक 10.01.2024 को स्वर्गवास हो चुका है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि पूरन सिंह की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 24.01.2024 को अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नदबई के समक्ष इस आश्य का पेश किया कि ग्राम पंचायत सरपंच अपीलान्ट से चुनावी रंजिश रखता है एवं दाखिला खोलने से मना कर दिया है इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की रजिस्टर्ड वसीयत एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोला जावे। लेकिन तहसीलदार नदबई द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण ना खोलकर विरासत के आधार पर पूरनसिंह के वारिसान/रेस्पो0 के हक में दिनांक 28.02.2024 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.03.2024 को स्वीकार किया गया है। साथ ही वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि खसरा नं. 523, 747, 828 पर दिनांक 16.12.2019 से न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई से मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश था। जिसका नोट राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित था एवं आराजी खसरा नं. 1317, 1414, 1416, 603, 640 पर भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर का सन 2010 से आज तक स्थगन आदेश प्रभाव में है के बाबजूद भी रेस्पो. के हक में नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि विधि अनुसार सर्वप्रथम नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है ग्राम पंचायत 45 दिन तक नामा0 नहीं करती है तो ही तहसीलदार को नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार था। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में वसीयत एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन उसके बाबजूद भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिल खारिज के है। अपील देरी से पेश करने के सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलाधीन का कहना है कि आदेश की जानकारी दिनांक 22.04.2024 को हुई, ई–मित्र से नकल वगे. ली जाकर जानकारी दिनांक 22.04.2024 से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2003(1) पेज 596, आरआरटी 2003(1) पेज 1369, आरआरडी 1989 पेज 771, उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरित दृष्टान्तों का ससम्मान अध्यन किया गया।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

समस्त अभिलेखों, प्रस्तुत तथ्यों एवं योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के तर्कों के अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में जिन स्थगन आदेशों का उल्लेख किया गया है उनके समर्थन में विधिवत एवं प्रभावी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः यह मानने का कोई आधार नहीं है कि सम्बन्धित खसरा नम्बरों पर वर्तमान में कोई प्रभावी स्थगन आदेश लागू है। साथ ही अपीलार्थी का यह कथन है कि जिन खसरा नम्बरानों की वसीयत एवं विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है, वह संपत्ति स्व0 पूरन सिंह की स्वयं अर्जित (Self Acquired) संपत्ति थी। उक्त तथ्य के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे इस कथन की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के तथ्यों एवं साक्ष्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया का पूर्णतः पालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनाऐ गये नियमों के अनुसार नामान्तकरण कार्यवाही एक सार–संक्षिप्त (Summary) प्रक्रिया है। जिसमें स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता, अपितु उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रथम दृष्टया अधिकार के आधार पर प्रविष्टि की जाती है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण दर्ज किये जाने से पूर्व वसीयत एंव पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नामा0 दर्ज किये जाने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाकर बिना कोई जॉच किये रेस्पो0 के हक में विरासत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है। अतः इस प्रकार पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण 1069 दिनांक 11.03.2024 त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण परीक्षण के कारण निरस्त (Set Aside) किया जाता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1069 दिनांक 11.03.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह वसीयत एवं पंजीकृत विक्रय पत्र का विधिवत परीक्षण करें, यदि कोई वैध एवं प्रभावी न्यायालयीन स्थगन आदेश हो तो उसका विधिवत संज्ञान लें। साथ ही दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये विधि अनुसार न्यायोचित आदेश पुनः पारित करें।

निर्णय आज दिनाक 24.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर